न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:—07 / 18

1. अतरसिंह पुत्र रामभरोसी
2. कुमरसिंह पुत्र रामभरोसी
3. लाखन पुत्र रामभरोसी
4. सुगरसिंह पुत्र रामभरोसी
5. मुस0 लोहरी विधवा रामभरोसी
   सभी जाति जाटव, निवासी गांव रारोदा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर।
6. मुस0 लच्छो पुत्री रामभरोसी पत्नी भगवानसिंह जाति जाटव, निवासी समराया तहसील वैर जिला भरतपुर राज0
7. पप्पी पुत्री रामभरोसी पत्नी कुमरपाल, जाति जाटव निवासी इमलिया, तहसील बयाना जिला भरतपुर राज0

................प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार बयाना ....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र शुद्धिकरण अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत शुद्ध कराये जाने रामभरोसी पुत्र रामवल करने बाबत ।

दिनांकः— 10.12.2025

निर्णय

उपस्थितिः— श्री बृजमोहन गुप्ता एड0 प्रार्थीगण

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र शुद्धिकरण अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत शुद्ध कराये जाने रामभरोसी पुत्र रामवल करने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी संख्या 01 लगायत 04, 6 व 7 के पिता व प्रार्थनी संख्या 5 के पति स्व0 रामभरोसी पुत्र रामवल जाति जाटव निवासी रारोदा तहसील बयाना जिला भरतपुर था जिसका देहान्त दिनांक 23.12.2016 को हो गया है। नकल फोटो स्टेट मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर सजरा पेश किया गया। खाता संख्या 203 खसरा नम्बर 337 रकवा 0.34, 339 रकवा 0.61, 340 रकवा 0.04, 344 रकवा 0.25, 345 रकवा 0.17 किता 5 रकवा 1.41 हैक्ट. स्थित गांव रारोदा तहसील बयाना मकें सम्वत 2071—74 में भूलवश वाई सिलिप ओफ पेन रामभरोसी पुत्र रामवल के स्थान पर रामभरोसी पुत्र रामलाल 1/2 दर्ज हो गया शेष 1/2 भाग पर प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 पुत्रगण रामभरोसी जाटव रारोदा सही दर्ज है। ठीक उसी तरह खाता संख्या 204 में दर्ज खसरा नम्बर 336 रकवा 0.39 व खाता संख्या 205 में दर्ज खसरा नम्बर 338 रकवा 0.01 हैक्ट. पर गलती व भूलवश बिना आधार कानून बिना आदेश रामभरोसी पुत्र रामवल के स्थान पर रामभरोसी पुत्र रामलाल 1/2 दर्ज हो गया तथा शेष भाग पर हरद्वारी पुत्र सुन्दर व गंगा पुत्री सुन्दर 1/2 दर 3/39 व रमेश पुत्र हीरा हिस्सा 36/39 सही दर्ज है तथा खाता संख्या 206 खसरा नम्बर 1504 रकवा 0.32 हैक्ट में पुत्र रामवल सही दर्ज है। इन अन्य खातेदारों की भूमियों से प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है अतः इन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है के अंकन जैसे है वैसे ही रहेगें। मृतक रामभरोसी पुत्र रामवल जाटव निवासी रारोदा तहसील बयाना जिला भरतपुर थ्ज्ञा तथा रामभरोसी के पिता का नाम रामलाल नहीं था अतः उसे रामलाल सहवन भूल से सिलिफ ऑफ पैन से दर्ज हो गया है उसे शुद्ध किया जाना न्यायहित में जरूरी है ताकि मृतक रामभरोसी पुत्र रामवल की इन भूमियों का दाखिल खारिज उसके जीवित वरिसान के नाम होकर रिकार्ड आफ राईट जमाबन्दी सही हो जाये तथा गरीब जाटव असहाय प्रार्थीगण को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जीवन सुधारने को

चालई जा रही योजनाओं का सही लाभ मिलकर सकें। दाखिल खारजि नम्बर 273 जो मृतक राम्भरोसी के पिता रामवल पुत्र भुल्लन की मृत्यु के वाद रामभरोसी पुत्र रामवल जाति चमार दर्ज किया था जो 01.06.1966 में दर्ज हुआ है। परिवार राशनकार्ड संख्या 0007 है में भी रामभरोसी पुत्र रामवल ग्राम पंचायत खानखेड़ा पंचायत समिति बयाना दर्ज है। आधार कार्ड मृतक रामभरोसी पुत्र रामवल रारोदा कार्ड नम्बर 462335736293 सही दर्ज है। खाता संख्या 206 के खसरा नम्बर 1504 रकवा 0.32 हैक्ट. पर रामभरोसी पुत्र रामलाल जाति चमार निवासी रारोदा सही दर्ज है। विक्रय पत्र दिनांक 13.03.2015 जो भरतलाल, श्योदारन, गोपाल पिसरान रामफल जाटव निवासी तहारपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0 द्वारा रामभरोसी पुत्र रामवल जाति जाटव निवासी रारौदा तहसील बयाना जिला भरतपुर को कराई है। यह सत्य है कि स्व0 रामभरोसी के पिता का नाम रामबल ही था व है तथा कभी रामलाल नहीं था न है। जमाबन्दी सम्वत 2071—74 के खाता संख्या 203 में दर्ज खसरा नम्वर किता 5 रकवा 1.41 हैक्ट पर तथा खाता संख्या 204 के खसरा नम्बर 3336 रकवा 0.39 हैक्ट. पर दर्ज रामलाल व खाता संख्या 205 के खसरा नम्बर 338 मे दर्ज पुत्र रामलाल का कोई आधर आदेश व कानून नहीं है अतः इन तीनों ही जमाबन्दी सम्वत 2071—74 में रामभरोसी पुत्र रामलाल के स्थान पर रामलाल को हटाकर शुद्व करके सही अंकन रामभरोसी पुत्र रामवल जाटव निवासी रारोदा किया जाना न्यायहित में जरूरी है जैसा कि मृतक के नाम सर्वप्रथम 1966 में उसके पिता रामवल पुत्र भुल्लन की मृत्यु के वाद चढे नामान्तकरण में भी रामभरोसी पुत्र रामवल तथा इसी सम्वत 2071—74 के खाता संख्या 206 के खसरा नम्बर 1504 रकवा 0.32 हैक्ट पर दर्ज रामभरोसी पुत्र रामवल जाटव रारोदा तथा अन्य सभी दस्तावेजात राशन कार्ड, आधार कार्ड, व निर्वाचन सूची में दर्ज नाम रामभरोसी पुत्र रामवल से साबित है। प्रार्थीगण के पिता रामभरोसी के पिता रामवल के स्थान पर रामलाल गलत दर्ज होने से भारी नुकसान व जवाल आ रहा है प्रार्थीगण के खेती का दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। प्रार्थीगण केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा किसानो के हितो में चलाई जा रही योजनाओं को लाभ नहीं ले पा रहा है प्रार्थीगण बर्बाद हो रहे है। प्रार्थीगण ने जब अपने पिता व पति रामभरोसी मृतक के दाखिल खारिज को अपने नाम चढाये जाने का प्रयास किया तो पटवारी हल्का व सभी ने यह सलाह दी कि रामलाल गलत दर्ज है उसे रामवल कराना जरूरी है इसीलिए रामभरोसी पुत्र रामवल शुद्व करके पुत्र रामलाल को हटाकर शुद्व किया जाना आवश्यक हो गया है। इस गलत अंकन रामभरोसी पुत्र रामलाल को हटाकर शुद्व करने के लिए व रामवल करने के लिए पुरानी नकलें एकत्रित की तथा अब दिनांक 29.01.2018 को पुनः तहसीलदार बयाना को प्रार्थना पत्र पेश किया तो उन्होने उस प्रार्थना पत्र को लौटा दिया तथा सलाह दी कि न्यायालय में शुद्वीकरण का प्रार्थना पत्र देकर (पुत्र रामलाल) के स्थान पर (रामवल) करा लें तब जानकारी होने पर बिना देरी यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

अन्त में प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने खाता संख्या 203 खसरा नम्बर 337 रकवा 0.34, 339 रकवा 0.61, 340 रकवा 0.04, 344 रकवा 0.25, 345 रकवा 0.17 किता 5 रकवा 1.41 हैक्ट. स्थित गांव रारोदा तहसील बयाना खाता संख्या 204 में दर्ज खसरा नम्बर 336 रकवा 0.39 व खाता संख्या 205 में दर्ज खसरा नम्बर 338 रकवा 0.01 हैक्ट.में दर्ज रामभरोसी पुत्र रामलाल को शुद्व करके रामलाल को काटकर रामवल दर्ज करके रामभरोसी पुत्र रामवल जाति जाटव निवासी रारोदा तहसील बयाना दर्ज कराये जाने। जैसा सत्य अंकन इसी जमाबन्दी के खाता संख्या 206 में दर्ज खसरा नम्बर 1504 रकवा 0.32 हैक्ट में सही दर्ज है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में तहसीलदार बयाना को रिकार्ड व मौके की रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार बयाना ने अपने रिपोर्ट पत्रांक / LR / 18 / 2243 दिनांक 25.05.2018 से रिपोर्ट न्यायालय हाजा प्रस्तुत कर अंकित किया है कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 16.04.2018 को ग्राम रारोदा मौके पर जॉच मजमे आम में की गई। जिसमें पाया गया कि ग्राम रारौदा की हाल

जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के सम्बन्धित खातरा संख्या 203, 204, 205 में प्रार्थी अतरसिंह बगैराह के पिता रामभरोसी की बल्दीयत रामलाल दर्ज रिकार्ड है एवं उक्त खातों से सम्बन्धित मिसिल बन्दोवस्त सम्वत 2051–70 के खाता संख्या 175 में रामभरोसी पुत्र रामलाल ही दर्ज रिकार्ड है। हाल जमाबन्दी के खाता संख्या 206 में रामभरोसी पुत्र रामवल रिकार्ड दर्ज है जॉच करते समय मौके पर उपस्थिति हुये व्यक्तियों उकत जानकारी ली तो उन्होने वताया रामभरोसी पुत्र रामलाल जाति जाटव नाम का कोई व्यक्ति ग्राम रारोदा में न हीं है। रामभरोसी पुत्र रामवल जाति नाम का व्यवित्त था जिसकी मृत्यु मुताबिक संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र एवं उपस्थित द्वारा बनाये अनुसार 23.12.2016 को हो चुकी है। उपस्थित व्यक्तियों ने अपने साक्ष्य हेतु अपने–अपने पहचान पत्र दिये।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण को एकपक्षीय सुना। एड0 प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस एड0 प्रार्थी सुनने के पश्चात पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात मृत्यु प्रमाण पत्र मृत्यु दिनांक 23.12.2016, नकल नामान्तकरण संख्या 273 दिनांक 12.06.66, राशन कार्ड संख्या 0007, आधारा कार्ड संख्या 462335736293, जमाबन्दी सम्वत 2071–74, वयनामा संख्या 201500415 दिनांक 16.03.2015, तहसीलदार बयाना पत्रांक/ LR /18/2243 दिनांक 25.05.2018 का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बयाना को आदेशित किया जाता है। कि खाता संख्या 203, 204, 205 ग्राम रारोदा तहसील बयाना में रामभरोसी पुत्र रामलाल को कलमजन कर रामभरोसी पुत्र रामवल किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बयाना को पालनार्थ भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक....10/12/25.........को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना